उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्याःAO/2015-1488/नौ-5-2015-197बजट/2014टीसी03
लखनऊः दिनांकः 27 फरवरी, 2015

---

## संशोधन

वित्तीय वर्ष 2014-15 में **अन्त्येष्टि स्थलो के विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रुप में अवमुक्त की गयी धनराशि की स्वीकृति विषयक शासनादेश सख्या-07/2015-922/नौ-5-15-197 बजट/14 दिनांक 09.02.2015 के पृष्ठ-2** पर वर्णित तालिका के क्रम सं0-5 पर उल्लिखित नगर पंचायत टीकरी जनपद बागपत के विवरण जो निम्न तालिका के कालम-1 में अंकित है, को कालम-2 के अनुसार संशोधित किया जाता है :-

**धनराशि (लाख रू0में)**

| 1 | | | | 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नागर निकाय का नाम | कार्य का विवरण | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि | नागर निकाय का नाम | कार्य का विवरण | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि |
| नगर पंचायत, टीकरी बागपत ) | नगर पंचायत टीकरी मं खसरा नं0 1898 पटटी रतराना में शमशान घाट की चाहरदीवारी व मिटटी भराव द्वारा समतलीकरण आदि का कार्य। | **40.00** | **20.00** | नगर पंचायत, टीकरी बागपत | नगर पंचायत टीकरी के अन्तर्गत खसरा नं0 1898 एवं 1920 में पटटी रतराना शमशान घाट की चाहरदीवारी व मिटटी भराव द्वारा समतलीकरण आदि के कार्य । | 40.00 | 20.00 |
| | | | | | | योग | 20.00 |

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक **09.02.2015** उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश के शेष प्रावधान/शर्ते यथावत रहेंगी।

उमा शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

**संख्या- 40/2015-1488 (1)/नौ-5-2015-197बजट/2014** टीसी03, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ ।
3. जिलाधिकारी,बागपत ।
4. कोषाधिकारी,बागपत ।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पंचायत टीकरी (बागपत)।
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )
संयुक्त सचिव।

u.s. rathore